# झारखण्ड सरकार
## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
## संकल्प

राँची, दिनांक .....

**विषयः– झारखण्ड राज्य में जिलास्तरीय पदों पर नियुक्ति में स्थानीय नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी अनुदेश।**

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसरण में सृजित झारखण्ड राज्य में विभिन्न कारणों से व्यवस्थित रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित नहीं हो पायी। राज्य में कर्मियों की अत्यधिक कमी के कारण विकास संबंधी कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने में कठिनाई महसूस की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा घोषित की गयी स्थानीय नीति एवं अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति का कार्य बड़े पैमाने पर आरंभ किया जा रहा है। दिनांक–03.11.2016 को झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की 18वीं बैठक में सदस्यों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिलास्तरीय संवर्ग में स्थानीय नीति के प्रावधानों को सभी विभाग के सेवा नियमावली में समाविष्ट करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

2. स्थानीय नीति को परिभाषित करने तथा जिलास्तरीय पदों पर, विशेष कर अनुसूचित जिलों में, नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नवत् हैं:–

(i) विभागीय संकल्प संख्या–3198 दिनांक–18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान निर्धारित की गयी है।

(ii) विभागीय संकल्प संख्या–3138, दिनांक–12.04.2016 के द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कतिपय पदों यथा–वनरक्षी, आरक्षी, चौकीदार, कक्षपाल, राजस्व कर्मचारी, समाहरणालय लिपिक, अमीन, जंजीरवाहक, चालक, आशुलिपिक, पंचायत सचिव, जन सेवक, लिपिक, ए०एन०एम०, व्यवहार न्यायालय के लिपिक, इंटर प्रशिक्षित शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक तथा उच्च विद्यालयों के शिक्षक को विशिष्ट रूप से जिलास्तरीय पदों के रूप में चिन्हित किया गया है।

(iii) विभागीय अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक–14.07.2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले जिलों यथा–साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला–खरसावाँ के स्थानीय निवासी ही, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक के लिए संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्त्ती हेतु पात्र होंगे।

(iv) विभागीय संकल्प संख्या–9567, दिनांक–11.11.2016 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अन्य सभी मामलों में समानता होने पर झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी।

गैर अनुसूचित जिलों, जहाँ भर्त्ती के लिए आवेदन के निमित्त निवास स्थान विषयक कोई बंधेज नहीं है, में जिलास्तरीय पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में उक्त संकल्प के प्रावधान प्रभावी होंगे।

3. विभिन्न विभागान्तर्गत जिलास्तरीय पदों पर भर्त्ती के लिए पूर्व से गठित नियमावलियों में उपर्युक्त प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने के फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारों के समक्ष दुविधा की स्थिति बनी रह सकती है।

4. अतः इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि उपर्युक्त उपकंडिका–2(ii) में वर्णित विभिन्न विभागान्तर्गत विशिष्ट रूप से चिन्हित जिलास्तरीय पदों से संबंधित नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावलियों में उपर कंडिका–2 में उल्लिखित प्रावधान, सभी नियमों के रहते हुए, संबंधित संकल्प/अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे।

**आदेशः** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को भेजी जाय।

**झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,**

ह०/–
**(निधि खरे)**
**सरकार के प्रधान सचिव।**

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–10/2016 का०–1065/राँची, दिनांक 2.2.17

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2/2/17
**सरकार के प्रधान सचिव।**